BA(H) PART– I, Paper- I

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

न्याय (Justice)

न्याय (Justice) – न्याय को अरबी भाषा में अद्ल कहा जाता है। इसका अर्थ – समान बनाना और व्यवहारिक तौर पर अथवा आम बोल–चाल की भाषा में इसका अर्थ – दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखना।

"न्याय व्यवस्था का कार्य सिर्फ विवादों को सुलझाना ही नहीं होता है बल्कि न्याय की रक्षा करना भी होता है। न्याय व्यवस्था कितनी प्रभावी है, इसका निर्धारण इसी आधार पर होता है कि वह किस हद तक न्याय की रक्षा कर पाता है।"

न्याय को विभिन्न विद्वानों ने अपने–अपने ढ़ग से परिभाषित अथवा व्याख्या किया है, जो इस प्रकार है –

सन्त ऑगस्टाइन के अनुसार, "जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता, वे डाकुओं के झुण्ड मात्र कहे जा सकते हैं।"

बार्कर के विचारानुसार, "न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्त्तव्य का पालन, जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की अपने धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है।"

प्लेटो के अनुसार, "न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मॉग है।"

इबेन्स्टीन (Ebenstein) के अनुसार, "प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं।"

थॉमस एक्वीनास के अनुसार, "यह प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है।"

इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि न्याय बुद्विमत्ता व दूरदर्शिता के समान होगा।

न्याय की अवधारणा (Concept of Justice) – न्याय की धारणा के दो आधार है – स्वतंत्रता और समानता। लेकिन परम्परागत रूप में न्याय की दो धारणाएँ रही है – नैतिक और कानूनी। वर्त्तमान समय में न्याय की व्यापकता काफी अधिक हो गई है। आज कानूनी न्याय की अपेक्षा भी सामाजिक और आर्थिक न्याय अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं। न्याय की धारणा को विभिन्न रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है –

1. **नैतिक न्याय (Moral Justice)** – परम्परागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया गया है। प्राकृतिक नियमों एवं प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। नैतिक न्याय के अन्तर्गत सत्य बोलना, मानव के प्रति दया का व्यवहार करना, उदारता और दान का परिचय देना, वचन का पालन करना है।
2. **कानूनी न्याय (Legal Justice)** – राज्य के उद्वेश्यों में न्याय को बहुत महत्व दिया गया है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानूनी न्याय में सभी नियम और कानूनी व्यवहार सम्मिलित हैं, जिसका अनुसरण करना चाहिए। कानूनी न्याय की धारणा में सरकार द्वारा बनाये गये कानून न्यायोचित होना चाहिए एवं बनाये गये कानून को न्यायोचित ढ़ग से लागू किया जाना चाहिए। कानूनी रूप में जिन व्यक्तियों ने कानून का उल्लंघन किया है उसे दण्डित करने में किसी भी प्रकार से पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं करना चाहिए।
3. **सामाजिक न्याय(Social Justice)** – वर्त्तमान समय में सामाजिक न्याय का महत्व अधिक लोकप्रिय हो गया है। सामाजिक न्याय पर बल देने के कारण ही विश्व के अधिकांश लोगों ने मार्क्सवाद और समाजवाद के अन्य किसी रूप को अपना लिया है।

सामाजिक न्याय का तात्पर्य समाज की ऐसी व्यवस्था से है, जिसमें गरीब–अमीर, पिछड़े–विकसित आदि वर्गो के व्यक्तियों को उनकी उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो सके। जाति, धर्म, लिंग भाषा, रंग, व्यवसाय या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति समाज में कमजोर है, पिछड़े हैं उसके साथ सामाजिक स्तर पर भेद–भाव नहीं करते हुए सबल लोगों की भॉति सामाजिक स्तर पर सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। व्यक्तियों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्वेश्य से भारतीय संविधान में कई संवैधानिक उपबन्ध बनाए गये हैं। इस संबध में जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि " लाखों–करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उनका वैज्ञानिक सिद्वांत नहीं है, वरन् सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है।" सामाजिक न्याय सामाजिक विषमता को दूर करने, व्यक्तियों को समान सामाजिक स्तर प्रदान करने, व्यक्यिों के विकास, योग्यतानुसार जीविका खोजने तथा पाने का अवसर प्रदान करता है।

4. **<u>आर्थिक न्याय(Economic Justice)</u>** – आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही अंग है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि राज्य एवं समाज में रहने वाले लोगों में आर्थिक रूप से समानता। लेकिन व्यवहार में यह किसी भी रूप में संभव नहीं है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति–व्यक्ति के बीच धन–सम्पदा के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न केवल जीवकोपार्जन के लिए समान अवसर मिलना चाहिए बल्कि सबको बिना किसी भेदभाव के समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की जाय। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्वांत में आर्थिक न्याय की स्थापना करने की बात कही गई है। आर्थिक न्याय के लिए समाज के सभी व्यक्तियों को अनिवार्य आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार को सीमित किया जाना आवश्यक है।

5. **<u>राजनीतिक न्याय (Political Justice)</u>** – राज–व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है। राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो सके। राज्य का मुख्य उद्वेश्य ाजनीतिक न्याय है। राज्य में रहने वाले प्रत्येक

नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिले होते हैं। जैसे – वयस्क मताधिकार, विचार की अभिव्यक्ति, सम्मेलन और संगठन, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक नागरिकों को अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को समुचित ढ़ग से उपभोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए। राजनीतिक न्याय की धारणा में यह निहित है कि राजनीति में कोई कुलीन वर्ग अथवा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए।